JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सर्वोच्च न्यायालय और कॉलेजियम प्रणाली:- वर्तमान संदर्भ में।

नाम:- अंजू देवी

पद:- सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान

राजकीय महाविदयालय, अग्रोहा (हिसार) 125001

शोध सार:-

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ।किसी भी लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका का स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होना बहुत आवश्यक होता है। भारत में संघात्मक तथा लोकतंत्र व्यवस्था होने के कारण न्यायपालिका का महत्व और भी अधिक है। संघात्मक शासन प्रणाली के तहत भारत में शासन की शक्तियों का केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों(सातवीं अनुसूची) के मध्य विभाजन किया गया है।जो विषय राष्ट्रीय महत्व के है, जैसे:- विदेशी मामले ,रक्षा विभाग तथा रेलवे विभाग आदि संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने तथा प्रशासन चलाने का अधिकार है ।राज्य सूची के विषयों ,जैसे:- कि कृषि, पुलिस तथा स्थानीय शासन पर राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त है ।समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को है, लेकिन विवादों की स्थिति में केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसी स्थिति में दोनों स्तर की सरकारों के बीच टकराव की संभावना बनी रहती है जिनको निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का होना आवश्यक है।(यह निपटान सर्वोच्च न्यायालय के प्रारभिंक क्षेत्राधिकार में आता है) इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के द्वारा नागरिको को मौलिक अधिकार(भाग-3 ,अनुच्छेद 12-35) प्रदान किए गए हैं, जिनकी रक्षा करने, हनन होने से बचाने के लिए भी न्यायपालिका की स्थापना आवश्यक है।जी.ऑस्टिन के शब्दों में ,"उच्चतम न्यायालय को नागरिकों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण का कार्य सौंप कर वस्तुत: 'सामाजिक क्रांति के संरक्षक'(Guardian of the social revolution) का भार सौंपा गया है।[1]

सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य 'न्यायिक पुनर्निरीक्षण' का है जिसके अंतर्गत विधानपालिका द्वारा बनाए गए और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों की संवैधानिक जांच करना है ,ताकि लोगों के हितों और समाज में न्याय स्थापित किया जा सके। इसीलिए संविधान में न्यायपालिका जैसी संस्था के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष जैसे शब्द जोड़ दिए हैं। इसी प्रकार हम न्यायपालिका को लोकतंत्र एक स्तंभ कह सकते हैं।लोकतंत्र की स्थापना में योगदान करने वाली सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्था के सदस्यों की नियुक्ति का सवाल उठता है, तो इसकी स्थापना(28 जनवरी,1950) से लेकर 1993 तक मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी ।लेकिन 1993 में लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए 'कॉलेजियम प्रणाली' का नया तंत्र स्थापित किया गया ।इस प्रणाली के द्वारा यह सुनिश्चित करना था, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय उनकी अपनी निजी राय नहीं है ,बल्कि सर्वोच्च सत्यनिष्ठा वाले न्यायाधीशों के एक निकाय द्वारा सामूहिक रूप से बनाई गई राय हैं । कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले की प्रणाली है ,जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के माध्यम से विकसित हुई है, जिसमें संसद अधिनियम

और संवैधानिक प्रावधान का कोई योगदान नहीं है। तभी कोलेजियम प्रणाली की दक्षता को समय -समय पर इसकी स्वतंत्रता और न्यायिक नियुक्तियों के निर्णयों की पारदर्शिता को चुनौती दी गई है।

इसीलिए 99 वां संविधान संशोधन के द्वारा कोलेजियम प्रणाली के स्थान पर **'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग'** (**National judiciary appointment commission**) का गठन किया गया ,लेकिन जजों की योग्यता का निर्धारण और आंकलन करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की मानते हुए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को कार्यपालिका और विधानपालिका का अनावश्यक हस्तक्षेप बताया और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द कर दिया था ।तब से लेकर वर्तमान में फिर से कोलेजियम प्रणाली को अपना लिया गया ।आज वर्तमान समय में कोलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता पर फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं। तो न्यायपालिका को जरूरत है, नागरिको का विश्वास बनाए रखने के लिए कॉलेजियम का सतर्कतापूर्वक पालन करें और स्वतंत्रता के हनन से खुद को बचाएं ।

मुख्य शब्द:- **पारदर्शिता,स्वतंत्रता न्यायपालिका**, **कॉलेजियम**

सर्वोच्च न्यायालय का इतिहास:-

ऑपनिवेशक भारत में कंपनी का शासन(1773-1858) के समय रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के तहत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश(लॉर्ड इम्पे) थे तथा तीन अन्य न्यायाधीश थे। 1935 के भारत शासन अधिनियम, के अंतर्गत 1 अक्टूबर ,1937 में संघीय न्यायालय(Federal Court)की स्थापना की गई, जिसकी जगह आज के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय ने ले ली है ।स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी ,1950 को हुई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की प्रकृति:-

सर्वोच्च न्यायालय एक वरिष्ठ संवैधानिक संस्था है, क्योंकि संविधान के लागू होने के बाद स्थापित और संविधान में भाग- 5, 124 - 147 में प्रावधानित हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत की सर्वोच्च संस्था है और संविधान के अंतर्गत भारत गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। इसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है।

सर्वोच्च न्यायालय का गठन:-

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है ।प्रारंभ में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे ।सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति संविधान में संसद को दी गई है ।1957 में संसद ने एक कानून पास हुआ ,जिसमें न्यायाधीशों की संख्या 8 से बढ़ाकर 9 कर दी गई ।1956 में 11 ,1960 में 14 ,1978 में 18 1986 में 26 ,2008 में 31 ,2019 में 34 कर दी गई।

आज वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश (धनंजय यशवंत चंद्रचूड,50th) तथा 33 अन्य न्यायधीश है।

योग्यताएं:- अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत,

1)वह भारत का नागरिक हों।

2) कम- से- कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में जज रहा हो।

3) कम- से -कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील के तौर पर काम कर चुका हो।

4) राष्ट्रपति की नजर में कानून का जानकर हो।

भारत के नागरिक होने के साथ उपरलिखित तीन योग्यताओं में कोई एक होना जरूरी है।

नियुक्ति- कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है।

शपथ- राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं।

वेतन- मुख्य न्यायाधीश-2,80,0000

अन्य न्यायाधीश-2,50,000

हटाने की प्रक्रिया-

अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत **साबित कदाचार एंव अयोग्यता/ असमर्थता** (**Proved misbehavior or incapacity**) के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसके अनुसार लोकसभा के कम से कम 100 तथा राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को संबंधित एक प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को दिया जाता है। इस प्रस्ताव की जांच पड़ताल तीन व्यक्तियों की समिति द्वारा की जाती है ।इस समिति में दो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं एक अन्य विधिवेता होते हैं यदि वे समिति न्यायाधीश के विरुद्ध लगाए गए दोष को सही मानती है ,तो इस समिति के प्रतिवेदन के साथ संबंधित सदन में महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है।यदि ऐसा प्रस्ताव प्रत्येक सदन लोकसभा या राज्यसभा में उस सदन की कुल संख्या को स्पष्ट बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों की दो तिहाई बहुमत संख्या से प्रस्ताव पारित हो जाता है ,तो ऐसे प्रस्ताव राष्ट्रपति की स्वीकृति या हस्ताक्षर किए भेज दिया जाता है ।तत्पश्चात राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पर स्वीकृति आदेश करने से न्यायाधीश को पद से मुक्त कर दिया जाता हैं।2

कॉलेजियम प्रणाली का विकास:-

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम आम चुनाव से लेकर(1952-1993)तक मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी ।अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करेगा। लेकिन 'परामर्श' शब्द को लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका पर काफी वाद- विवाद चलें, जिसमें समय समय पर न्यायाधीश मामले में निर्णय दिए गए हैं।

पहला न्यायाधीश मामला (1981-82):-इसको SP Gupta v/s union के नाम से भी जाना जाता हैं।इसमें निर्णय दिया गया है, कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया गया परामर्श विचारों का आदान- प्रदान है।

दूसरा न्यायाधीश मामला 1993-

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में निर्णय दिया कि परामर्श को 'सहमति' माना जाएगा। साथ ही इसमें यह भी प्रावधान कर दिया गया कि मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों का परामर्श भी आवश्यक है ।और राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्यकारी कर दिया गया। इसी प्रकार इस मामले में न्यायपालिका कार्यपालिका पर हावी हो गई।

तीसरा न्यायाधीश मामला 1998:-

न्यायालय ने मत दिया कि परामर्श प्रक्रिया को मुख्य न्यायाधीश द्वारा 'बहुसंख्यक न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया' के तहत माना जाएगा। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश का एकल मत ही परामर्श प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करता । उसे चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेनी चाहिए। इनमें अगर दो का मत भी पक्ष में नहीं है, तो वह नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं भेज सकता ।न्यायालय ने व्यवस्था दी कि बिना अन्य न्यायाधीशों की सलाह के भेजी गई सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है।3 इसी प्रकार वर्तमान की कॉलेजियम प्रणाली तीसरे न्यायाधीश मामले में स्थापित हो गई थी।

वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली की संरचना:अध्यक्ष -भारत का मुख्य न्यायाधीश।

अन्य चार सदस्य- सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश

लेकिन धीरे धीरे कॉलेजियम को लेकर सरकार के न्यायपालिका और कार्यपालिका अंग में भी विवाद पैदा होने लगे। कार्यपालिका का मानना था कि कोलेजियम प्रणाली के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति में उनका नाम मात्र का अधिकार है। इसलिए इस प्रणाली के स्थान पर एक ऐसा निकाय आना चाहिए ,जिसमें कार्यपालिका भी शामिल हो। इन दोनों अंगों में विवाद का एक अन्य मुद्दा यह भी था कि न्यायपालिका अपने सदस्यों का चुनाव स्वयं ही करती है ,तो वह विधानपालिका और कार्यपालिका पर हावी है।

99 वां संविधान संशोधन, 2014 के द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की जगह राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्ति आयोग लाया गया, जिसमें निम्न सदस्य शामिल थे।

भारत का मुख्य न्यायाधीश (पदेन सदस्य, अध्यक्ष)

सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश (पदेन सदस्य)

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री (पदेन सदस्य)

दो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा गठित कमेटी के द्वारा नामित किया जाता था।

इसी प्रकार छह:सदस्यीय नियुक्ति आयोग के द्वारा अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाने लगी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इस संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्ति आयोग का न्यायपालिका में कार्यपालिका और विधानपालिका का हस्तक्षेप माना गया । परिणामत: कॉलेजियम प्रणाली फिर से कार्यरत हो गई। सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्ति आयोग न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा।

चोथा न्यायाधीश मामला, 2015-

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्ति आयोग को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण तथा अधिकारिक संरचना को कमजोर करने वाली संस्था मानते हुए असंवैधानिक करार दे दिया। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय कार्यकारिणी के पक्षपात में कमी करता है और साथ ही न्यायिक नियुक्ति को राजनीति से अलग करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के सन्दर्भ कॉलेजियम प्रणाली की **प्रांसगिकता तथा भूमिका**:-

कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधिशों की नियुक्ति की एक विकसित प्रणाली है। जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का प्रभाव है। अगर हम इस प्रणाली के सकारात्मकता की बात करें तो, सबसे बड़ा बिंदु सरकार के पक्षपात की राजनीति से मुक्त करता है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को खारिज करने का यही ठोस कारण था । यदि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लागू हो जाता है, तो लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और आम नागरिको को न्याय दिलाने वाली संस्था सरकार के प्रभाव में आकर अपने निर्णय स्वतंत्रता और निष्पक्षता से नहीं कर पाती इसीलिए 1993 से लेकर अब तक कॉलेजियम प्रणाली बनी हुई है। क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की यह अपनी व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि न्यायपालिका में सर्वोच्च सत्यनिष्ठा वाले न्यायाधीशों का एक समूह (निकाय) है ,जो सामूहिक रूप से राय बनाता है।

लेकिन समय समय पर न्यायपालिका में दर्ज हुई कॉलेजियम प्रणाली के विरुद्ध जनहित याचिका निर्णयों से मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली की दक्षता पर सवाल उठते देख सकते हैं ,जो इस के नकारात्मक पहलुओं को उजागर करते हैं।

अपारदर्शिता:- कॉलेजियम प्रणाली अपने कामकाज के लिए लिखित रिकॉर्ड का अभाव, चयन के मानदंडो का अभाव ,पहले से लिए गए अपने निर्णयों में अपनी मनमानी करना, चयनात्मक प्रकाशन आदि कोलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता को साबित करता है। इसी प्रकार मांग उठती है कि न्यायपालिका में पारदर्शिता लाने के लिए प्रणाली में सुधार करना जरूरी है।

नियुक्ति का अस्पष्ट तरीका:- कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों का चयन कैसे करती है ,यह कोई नहीं जानता। इसलिए आत्म चयन और भाई भतीजावाद जैसी चिंताएं न्यायाधीशों की नियुक्ति के औचित्य पर सवाल उठाती है और कई बार यह प्रणाली प्रतिभाशाली कनिष्ठ न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की अनदेखी भी करती हैं ,जिनकी वजह से कॉलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता में कमी आई है।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का अप्रभावी होना :- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया जो, अनुचित राजनीतिकरण से स्वतंत्रता की गारंटी दे सकता है। कॉलेजियम प्रणाली में आयी पारदर्शिता की कमी को कम और नियुक्तियों की गुणवत्ता को और बेहतर कर सकता है । और कोलेजियम प्रणाली की वजह से जनता के विश्वास में आई कमी को पूरा कर पुनर्निर्माण कर सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए माना कि न्यायाधीशों की योग्यताओं का आकलन करना सिर्फ न्यायपालिका की जिम्मेदारी है।।

कॉलेजियम सदस्यों के बीच असहमति :- कॉलेजियम प्रणाली में सुधार या इसकी जगह और संस्था की मांग का मुख्य कारण इस प्रणाली के सदस्यों में आपसी विश्वास की कमी है, जो अक्सर न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर आपसी सहमति के मुद्दों का सामना करना पड़ता है। इससे न्यायपालिका के भीतर की खामियां उजागर होती है । उदाहरण के लिए हाल ही में सेवानिवृत्त भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद ए बोबड़े शायद पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने कॉलेजियम सदस्यों के बीच आम सहमति की कमी के कारण सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए एक भी सिफारिश नहीं की थी।4

न्यायिक नियुक्तियों में देरी और सम्मान प्रतिनिधियों की कमी :-कॉलेजियम प्रणाली इसीलिए भी न्यायपालिका के लिए चिंतनीय विषय है ,कि सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है ।

और साथ ही प्रणाली में सदस्यों की आपसी असहमति और विश्वास की कमी न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में देरी का कारण बनता है। इसलिए कोलेजियम प्रणाली की दक्षता पर सवाल उठते हैं। और सुधार की जरूरत महसूस होती है।

कोलेजियम प्रणाली में सुधारों के लिए सुझाव:-कॉलेजियम प्रणाली के विरूद्ध समय पर उठते सवालों को खत्म करने के लिए इस प्रणाली की दक्षता को मजबूत करने और विश्वास कार्यप्रणाली में सुधार करना बहुत आवश्यक है, जैसे:-

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संरक्षण :- कोलेजियम प्रणाली को सतत और सहयोगी प्रक्रिया बनाने के लिए न्यायपालिका में कार्यपालिका को शामिल करते हुए खालीपन को भरा जा सकता है। कॉलेजियम प्रणाली न्यायिक प्रधानता की गारंटी तो देती है, लेकिन न्यायिक अंतर संबंधता की नहीं। इसलिए इसे अपने स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना चाहिए। अपने व्यावसायिक दक्षता और अखंडता का प्रदर्शन करना चाहिए।

सिफारिश प्रक्रिया में सुधार :- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद की जितनी सीटें खाली होती है, उतने ही सदस्यों के नाम कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति के पास नियुक्ति के लिए भेजने की बजाए, वरीयताक्रम और पात्रता मानदंडों के आधार पर एक संभावित नामों का पैनल प्रदान करना चाहिए, ताकि न्यायपालिका की प्रधानता को खत्म किया जा सके और कार्यपालिका- न्यायपालिका में अनन्यता को मजबूत और प्रभावशाली बनाया जा सके।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना :- कॉलेजियम प्रणाली में **नियंत्रण तथा संतुलन** के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। भारत के सरकार के तीनों अंग विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अशंत: रूप से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, लेकिन वे किसी भी एक अंग की शक्तियां की अधिकता की वजह से हावी होने के सिद्धांत पर नियंत्रण के साथ ही संतुलन भी बनाए रखते हैं। यदि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जैसी संस्था की स्थापना हो जाती है, तो न्यायपालिका की न्यायिक प्रधानता खत्म हो कर न्यायिक विशिष्टता स्थापित की जा सकती है।

पारदर्शिता:- कॉलेजियम प्रणाली के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति गोपनीय तरीके से होती है। न्यायिक नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका नगण्य है। राष्ट्रपति के पास कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश एक निश्चित संख्या में सदस्यों की सूची भेजी जाती है, जिनकी नियुक्ति के लिए वह बाध्य होता है। कॉलेजियम प्रणाली भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की कोई विशिष्ट मानदण्ड प्रदान नहीं करतीं, जो भाई -भतीजावाद, पक्षपात और गैर- पारदर्शिता को उत्पन्न करता है। अगर न्यायिक नियुक्ति में न्यायपालिका की शक्तियों का कार्यपालिका और विधानपालिका के साथ संतुलन कर लिया जाए, तो पारदर्शिता को स्थापित किया जा सकता है, जो देश की कानून व्यवस्था की सुरक्षा की गारंटी देता है।

कॉलेजियम प्रणाली में प्रशासनिक जवाबदेहिता लागू करना:- अगर इस प्रणाली में कार्यपालिका और विधानपालिका को भी शामिल करते हैं, तो प्रशासनिक जवाबदेही बनी रहेंगी और गलत उम्मीदवारों का चयन रुक जाएगा।

निष्कर्ष:- कॉलेजियम प्रणाली और न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता पर उठते सवाल और कार्यपालिका के खुले हस्तक्षेप की चिंताओं के प्रति "पारदर्शिता के अभाव" के बीच जिसने भारतीय संविधान की बुनियादी बातों का भी कोई सम्मान नहीं दिखाया। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली फिर से सार्वजनिक बहस के दायरे में है।

कॉलेजियम में पारदर्शिता की कमी पर इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि "न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, ये जानने में एक वैध..... सार्वजनिक हित हैं। हमें लोगों की गोपनीयता को संरक्षित करने की भी आवश्यकता है" के बारे में सदस्य या न्यायाधीश उच्च न्यायालय "जो विचाराधीन है"। इस पुनर्जीवित विवाद में उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों पर बहस को फिर से केंद्र में ला दिया है।"5

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जैसी संस्था को स्थापित करने से मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा। केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर मांग की है, कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आयोग में सरकार के प्रतिनिधि भी होने चाहिए। इससे शक्ति- पृथक्करण के सिद्धांत के साथ -साथ **नियंत्रण और संतुलन** का सिद्धांत भी स्थापित होगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय और कोलेजियम प्रणाली के बीच सरकार का प्रतिनिधित्व, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता, न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रशासनिक जवाबदेहिता, पारदर्शिता जैसे मुद्दें जन्म ले रहे हैं। स्वयं सर्वोच्च न्यायालय अपनी स्वतंत्रता को लेकर कॉलेजियम प्रणाली के पक्ष में हैं। वहीं केंद्र सरकार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के पक्ष में है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, कोलेजियम प्रणाली पर उठते सवालों को देखते हुए अनिवार्य है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रणाली में सुधार किए जाये, जिससे मौलिक अधिकारों की संरक्षक संस्था, लोकतंत्र के एक स्तंभ के रूप में अपनी मजबूत छवि तथा अपनी स्वतंत्रता निष्पक्षता को सुनिश्चित कर सकें।

संदर्भ सूची:-

1. **डॉ जयनारायण पाण्डेय, भारत का संविधान,2003, पृष्ठ 416**
2. **सुरेश कुमार, गुलशन राय, डॉ सोमनाथ, भारतीय संविधान JBD 2020-21, page A-237**

3. भारत की राजव्यवस्था,M. Laxmikant,fifth addition page-26.2
4. Drishtiias.com – कॉलेजियम प्रणाली और लोकतंत्र
5. Hindi.newsclick.in